

शब्द और पद

पिछले अध्याय में बताया गया है कि शब्द भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई है। जब शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है और वाक्य के बाहर होता है तो यह शब्द होता है, किंतु जब शब्द वाक्य के अंग के रूप में प्रयुक्त होता है तो इसे पद कहा जाता है: जैसे - 'लड़का' एक शब्द है। 'लड़का' शब्द का वाक्य में प्रयोग किया जाए तो इसके विभिन्न रूप मिलेंगे; जैसे-

1. लड़का किताब पढ़ता है।
2. लड़के ने किताब पढ़ी।
3. लड़कों को पढ़ने दो।
4. लड़को। किताब पढ़ो।

उपर्युक्त वाक्यों में लड़का, लड़के, लड़कों, लड़को रूप अब अपने-आप में स्वतंत्र शब्द नहीं हैं। लड़का शब्द के ये अलग-अलग रूप हैं। ये ही रूप 'पद' कहलाते हैं। 'लड़का' शब्द का अर्थ कोश से प्राप्त हो सकता है, किंतु लड़के, लड़कों और लड़को शब्दों के अर्थ कोश से प्राप्त नहीं होंगे। इसीलिए लड़का शब्द कोशीय शब्द कहलाता है, जबकि लड़के, लड़कों और लड़को पद कोशीय अर्थ के साथ-साथ अन्य संदर्भपरक अर्थ भी लिए हुए हैं।

कोशीय और व्याकरणिक शब्द

कोशीय शब्दों के अतिरिक्त व्याकरणिक शब्द भी होते हैं, जो व्याकरणिक कार्य करते हैं: जैसे-

(क) मैं आजकल मोहन के घर नहीं जाता।

(ख) मुझसे आजकल खाना नहीं खाया जाता।

वाक्य (क) में 'जाता' कोशीय शब्द है, जिससे 'जाने' की क्रिया का अर्थ मिलता है, किंतु वाक्य 'ख' में जाता कोशीय अर्थ नहीं, अपितु व्याकरणिक अर्थ दे रहा है। यहाँ 'जाता' शब्द में पहले वाक्य की भाँति जाने की क्रिया नहीं है, वरन् इससे कर्मवाच्य का बोध होता है। अतः यह व्याकरणिक शब्द है। इस प्रकार 'जाता' पद वाक्य (क) में कोशीय शब्द है और वाक्य (ख) में व्याकरणिक शब्द।

पद के भेद

पद के निम्नलिखित पाँच भेद किए गए हैं-

1. संज्ञा 2. सर्वनाम 3. विशेषण 4. क्रिया और 5. अव्यय।

संज्ञा

संज्ञा वे शब्द हैं जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं: जैसे- रमेश, गंगा, गाय, सेब, हैदराबाद, प्रेम।

निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर संज्ञा को पहचाना जा सकता है।

1. कुछ संज्ञा शब्द **प्राणिवाचक** होते हैं और कुछ **अप्राणिवाचक**। प्राणिवाचक शब्द बच्चा, भैंस, चिड़िया, आदमी, रमेश हैं और अप्राणिवाचक शब्द हैं-किताब, मकान, रेलगाड़ी, रोटी, पर्वत।
2. कुछ संज्ञा शब्दों की गिनती की जा सकती है और कुछ की गिनती नहीं की जा सकती; जैसे - आदमी, पुस्तक, केला की गणना की जा सकती है, इसलिए ये **गणनीय** संज्ञाएँ हैं और दूध, हवा, प्रेम की गणना नहीं हो सकती, इसीलिए ये **अगणनीय** संज्ञाएँ हैं।
3. संज्ञा पद वाक्य में कर्ता, पूरक आदि की भूमिकाएँ निभा सकता है: जैसे-
(क) **शीला** खेल रही है। (कर्ता के रूप में)
(ख) मोहन **पुस्तक** पढ़ रहा है। (कर्म के रूप में)
(ग) रमेश **छात्र** है। (पूरक के रूप में)
4. संज्ञा पद के बाद परसर्ग (ने, को, से, में पर आदि) आ सकते हैं: जैसे-मोहन ने, फलों को, डंडे से, कमरे में, मेज़ पर।
5. संज्ञा शब्द के पहले विशेषण का प्रयोग हो सकता है: जैसे - काला जूता, सफ़ेद कमीज़, नया घर, अँधेरी रात, सुंदर साड़ी। इन संज्ञा पदों के पहले क्रमशः काला, सफ़ेद, नया, अँधेरी, सुंदर विशेषण आए हैं।

संज्ञा के भेद-संज्ञा के तीन भेद माने गए हैं-

(क) व्यक्तिवाचक संज्ञा (ख) जातिवाचक संज्ञा (ग) भाववाचक संज्ञा।

(क) **व्यक्तिवाचक संज्ञा** : जो संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति प्राणी, स्थान और वस्तु का बोध कराती है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे- रमेश (व्यक्ति-विशेष), कामधेनु (गाय-विशेष), गंगा (नदी-विशेष), हिमालय (पर्वत-विशेष), भारत (देश-विशेष)।

(ख) **जातिवाचक संज्ञा** : जिस संज्ञा से जाति वर्ग या समूह का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं: जैसे- मनुष्य, गाय, नदी, पर्वत, देश।

(ग) **भाववाचक संज्ञा** : जो संज्ञा किसी गुण, स्वभाव, भाव, स्थिति या अवस्था का बोध कराती है, वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। ये सभी संकल्पनाएँ होती हैं, इनका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता; जैसे- सच्चाई, प्रेम, बचपन, ईमानदारी, शीतलता।

व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में।

कभी-कभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएँ अपने विशिष्ट गुणों के कारण जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होती हैं; जैसे-

1. आज भी **हरिश्चंद्रों** की कमी नहीं है।
2. हमें **जयचंदो** से बचना चाहिए।
3. किसी-न-किसी परिवार में **विभीषण** मिल ही जाते हैं।

जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में-

कुछ जातिवाचक संज्ञा शब्द रूढ़ हो जाते हैं और किसी व्यक्ति-विशेष को निर्दिष्ट करते हैं।

उदाहरण के लिए

1. पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे।
2. नेता जी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूँगा।
3. पुरी में रथयात्रा बड़ी सुंदर होती है।

उपर्युक्त वाक्यों में पंडित जी, नेता जी, पुरी आदि शब्द क्रमशः जवाहरलाल नेहरू, सुभाषचंद्र बोस, जगन्नाथ पुरी का बोध कराते हैं।

भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में-

जब भाववाचक संज्ञा पद बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होती है तो वह जातिवाचक संज्ञा हो जाती है; जैसे-

- बुराइयों से सदैव दूर रहिए।
आजकल दूरियाँ बढ़ती जा रही है।

लिंग

लिंग का अर्थ है- **चिह्न**। व्याकरण में इसे-पुरुष के भाव का भेदक माना जाता है। हिंदी में दो लिंग हैं-

(क) पुल्लिंग (ख) स्त्रीलिंग

हिंदी में लिंग-विधान का व्याकरणिक महत्त्व है। जीव जगत में लिंग का भेद प्राकृतिक है किंतु भाषा में इसे व्याकरण की दृष्टि से देखना अपेक्षित है। प्राणिवाचक संज्ञा शब्दों में लिंग की पहचान उनके नर या मादा होने के कारण सरलता से हो जाती है, किंतु अप्राणिवाचक संज्ञा

शब्दों में लिंग की पहचान उनके साथ लगने वाली क्रिया और विशेषण पद से ही हो सकती है: जैसे-

- (1) आदमी भोजन कर रहा है। (प्राकृतिक लिंग भेद)
- (2) औरत खाना बना रही है। (प्राकृतिक लिंग भेद)
- (3) पंखा चल रहा है। (क्रिया से पहचान)
- (4) घड़ी चल रही है। (क्रिया से पहचान)
- (5) यह बड़ा कमरा है। (विशेषण से पहचान)
- (6) यह बड़ी कुर्सी है। (विशेषण से पहचान)

उपर्युक्त वाक्यों में वाक्य (1) और (2) में आदमी तथा औरत प्राणिवाचक संज्ञापद हैं। आदमी पुल्लिंग है, औरत स्त्रीलिंग है। वाक्य (3), (4), (5) और (6) में पंखा, घड़ी, कमरा और कुर्सी अप्राणिवाचक संज्ञापद हैं। इनमें पंखा, घड़ी के साथ प्रयुक्त क्रियापद रहा, रही तथा कमरा और कुर्सी के साथ प्रयुक्त विशेषण बड़ा, बड़ी से उनके लिंग का बोध हो रहा है।

कुछ जीवों के नाम ऐसे हैं, जिनका प्रयोग या तो पुल्लिंग में होता है या स्त्रीलिंग में।

केवल पुल्लिंग जीव : चीता, भेड़िया, गीदड़, तोता, कौवा, मच्छर।

केवल स्त्रीलिंग जीव : छिपकली, गिलहरी, बुलबुल, तितली, मैना, चींटी। कभी-कभी इनके लिंग को स्पष्ट करने के लिए उसके पहले नर और मादा जोड़ दिया जाता है: जैसे- नर चीता और मादा चीता, नर मैना और मादा मैना।

हिंदी में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों में कई प्रकार के अंतर देखे जा सकते हैं। ये इस प्रकार हैं:

- (क) कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों का अंतर छोटे-बड़े आकार के आधार पर होता है: जैसे- नाला-नाली, चींटा-चींटी, लोटा-लुटिया।
- (ख) रिश्ते-नाते के अधिकांश शब्दों में लिंग भेद पति-पत्नी सूचक है। उदाहरण के लिए; दादा-दादी, नाना-नानी, चाचा-चाची, मामा-मामी, बेटा-बहू, भाई-भाभी, साला-सलहज, साली-साढ़ू आदि, किंतु बेटा-बेटी, साला-साली अपवाद हैं क्योंकि इनमें भाई-बहन का रिश्ता है, न कि पति-पत्नी का।
- (ग) हिंदी में पदवी, उपाधिसूचक नाम उभयलिंगी हो गए हैं। उनमें लिंग-विधान का निर्धारण क्रिया के द्वारा ही हो पाता है।
 - (1) प्रधानमंत्री इस समारोह का उद्घाटन करेंगे।
 - (2) प्रधानमंत्री आज विदेश यात्रा पर जा रही हैं।

इसी प्रकार कई अन्य शब्द पुरुष और स्त्री दोनों के लिए एक ही रूप में प्रयुक्त होते हैं: जैसे प्रोफेसर, सविच, सभापति, निदेशक।

वचन

संज्ञा तथा अन्य विकारी शब्दों के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। हिंदी में दो वचन हैं- एकवचन और बहुवचन।

जो संज्ञापद एक का बोध कराए उसे एकवचन कहते हैं- जैसे-घोड़ा, मेज़, नदी। जो एक से अधिक का बोध कराए, उसे बहुवचन कहते हैं: जैसे- घोड़े, मेज़ें, नदियाँ। गणनीय संज्ञा पदों के बहुवचन रूप होते हैं: जैसे-लड़का-लड़के, लड़की-लड़कियाँ, वस्तु-वस्तुएँ। अगणनीय संज्ञा पदों का बहुवचन रूप नहीं बनता: जैसे- दूध, चीनी, पानी।

वचन संबंधी कुछ नियम

(1) कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जो पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए इनका प्रयोग एकवचन में ही होता है: जैसे-

(क) यह देखकर जनता चिल्ला उठी।

(ख) पुलिस चुप नहीं बैठेगी।

(ग) भीड़ आगे बढ़ती गई।

इसमें जनता, पुलिस, भीड़ संज्ञापद समूहवाचक होते हुए भी एकवचन के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। यहाँ एकवचन का प्रयोग समुदाय को एक इकाई के रूप में लेकर हुआ है।

(2) कहीं-कहीं एकवचन का प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है: जैसे-

(क) मुझे आपके दर्शन नहीं हुए।

(ख) उसके प्राण निकल गए।

(ग) सीता के आँसू नहीं थमे।

(घ) मोहन के हस्ताक्षर नहीं हुए।

उपर्युक्त वाक्यों से स्पष्ट है कि मोटे छपे शब्दों का प्रयोग केवल बहुवचन में ही होता है।

(3) आदर व्यक्त करने के लिए एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता है: जैसे-

(क) शर्मा जी दफ्तर गए हैं।

(ख) पिता जी कब आ रहे हैं।

(ग) माता जी खाना बना रही हैं।

(घ) क्या आप मेरे घर आएँगे।

(ङ) नीरा जी कल चेन्नई जा रही हैं।

- (4) कभी-कभी बहुवचन बनाने के लिए 'जन', 'गण', 'वर्ग', 'वृंद' या 'लोग' आदि शब्द भी जोड़े जाते हैं; जैसे- गुरुजन, छात्रगण, कृषक वर्ग, शिशु-वृंद, डॉक्टर लोग।

कारक

वाक्य में क्रिया तथा संज्ञा-सर्वनाम के बीच पाए जाने वाले संबंधों को कारक कहते हैं। ये संबंध अर्थ के धरातल पर निश्चित किए जाते हैं; जैसे- 'राम ने रावण को बाण से मारा'। इस वाक्य में 'राम', 'रावण', 'बाण' संज्ञापदों का संबंध 'मारा' क्रिया से सूचित हो रहा है। इस प्रकार कारक एक ऐसी व्याकरणिक कोटि है जिससे यह पता चलता है कि संज्ञा पद वाक्य में स्थित क्रिया के साथ किस प्रकार की भूमिका निभाते हैं।

कारक के छः मुख्य भेद माने गए हैं:

1. कर्ता (क्रिया को करने वाला)
2. कर्म (जिस पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े)
3. करण (जिस साधन से क्रिया हो)
4. संप्रदान (जिसके लिए क्रिया की जाए)
5. अपादान (जिससे अलग होने या निकलने का बोध हो)
6. अधिकरण (क्रिया के स्थान, समय आदि का आधार)

कुछ विद्वान कारक के दो अन्य भेद भी मानते हैं, किंतु इन पर विवाद है, क्योंकि इनका संबंध प्रत्यक्ष रूप में क्रिया से नहीं होता। ये दो कारक हैं-

1. संबंध (क्रिया से भिन्न किसी अन्य पद से संबंध सूचित करने वाला)
2. संबोधन (जिस संज्ञा को पुकारा जाए)

उपर्युक्त कारकों को निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है।

कारक	परसर्ग/विभक्ति	वाक्य-प्रयोग
कर्ता	ने	1. माणिक आम खाता है। (ने-रहित) 2. माणिक ने आम खाए। (ने-सहित)
कर्म	को (ए, एँ)	1. शीला ने पत्र लिखा। (को-रहित) 2. शीला ने मोहन को डाँटा (को-सहित) 3. शीला ने उसे बुलाया। (को के स्थान पर 'ए') 4. शीला ने हमें समझाया। (को के स्थान पर 'एँ')
करण	से (द्वारा)	1. सुरेश ने पेंसिल से पत्र लिखा। 2. मैंने उसे तार द्वारा सूचित किया।

संप्रदान	को (ए, ऐ), के लिए	1. भिक्षुक को भिक्षा दे दो। 2. माँ के लिए दवा ले आओ। 3. उसने ये पुस्तकें मुझे दी हैं।
अपादान	से (अलग होने में)	1. पेड़ से कई आम गिरे। 2. अनिल मथुरा से आज ही गया है।
अधिकरण	में, पर	1. मोहन कमरे में बैठा है। 2. प्रभात ने मेज़ पर सामान रखा।
संबंध	का (के, की), रा (रे, री), ना (ने, नी)	1. यह पीने का पानी है। 2. तुम्हारे दो बेटे हैं। 3. यह अपना चश्मा है। 4. अपना काम पूरा करो।
संबोधन	ऐ, हे, अरे, ओ आदि (ऐ, हे, अरे आदि स्वतंत्र संबोधन हैं परसर्ग नहीं)	1. (ऐ) लड़के! वहाँ से कुर्सी ले आओ। 2. (हे) ईश्वर! मेरी रक्षा करो। 3. (अरे) भाई! ऐसा काम क्यों करते हो ?

सर्वनाम

सर्वनाम ऐसे शब्दों को कहते हैं, जिनका प्रयोग सब प्रकार के नामों (संज्ञाओं) के लिए या उनके स्थान पर हो सके। एक ही संज्ञा को बार-बार उसी रूप में अगले वाक्यों में दुहराए जाने से बचने के लिए सर्वनाम का प्रयोग होता है; उदाहरण के लिए-

समीर कल मेरे घर आया था। समीर बहुत दुःखी था क्योंकि समीर की पुस्तक खो गई थी। मैंने समीर को अपनी पुस्तक दे दी।

उपर्युक्त वाक्यों में समीर चार बार आया है, इससे यह अंश अटपटा-सा लग रहा है। सर्वनाम का प्रयोग करने से ये वाक्य इस प्रकार बनेंगे-

समीर कल मेरे घर आया था। वह बहुत दुःखी था क्योंकि उसकी पुस्तक खो गई थी। मैंने उसे अपनी पुस्तक दे दी।

इस प्रकार सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर वाक्य में आते हैं।

सर्वनाम के भेद

सर्वनाम के छः भेद माने गए हैं- 1. पुरुषवाचक 2. निश्चयवाचक 3. अनिश्चयवाचक 4. प्रश्नवाचक 5. निजवाचक 6. संबंधवाचक।

1. **पुरुषवाचक** - यह सर्वनाम व्यक्ति, प्राणी आदि के स्थान पर प्रयुक्त होता है। इसके अंतर्गत वक्ता को केंद्र में रखा जाता है।

पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन प्रकार हैं-

(क) **उत्तम पुरुष सर्वनाम** : वक्ता अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं; जैसे-मैं, हम, मुझे, मुझको, हमें, हमको।

(ख) **मध्यम पुरुष सर्वनाम** : श्रोता से बात करते हुए उसके नाम के बदले जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है, उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं; जैसे- तू, तुम, आप, तुझे, तुमको, आपको।

(ग) **अन्य पुरुष सर्वनाम** : जिसके बारे में बात करने या लिखने में उसके नाम के बदले जो सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं, वे अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं; जैसे- वह, वे, यह, ये, उसे, उन्हें, इसे, उसने, उन्होंने।

2. **निश्चयवाचक सर्वनाम** - जिस सर्वनाम से दूरवर्ती अथवा समीपवर्ती व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं और घटनाओं का निश्चित बोध होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं: जैसे-

(क) वह मनुष्य नहीं देवता है।

(ख) यह तुम्हारी पुस्तक है।

इस सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं।

इस संबंध में यह ध्यान रखने की भी आवश्यकता है कि 'यह' और 'वह' पुरुषवाचक (अन्य पुरुष) सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम दोनों ही हैं। इन दोनों में अंतर इस प्रकार होगा:

(क) मोहन मेरा भाई है, वह मुंबई में रहता है। (अन्य पुरुष सर्वनाम)

(ख) यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी किताब है। (निश्चयवाचक सर्वनाम)

3. **अनिश्चयवाचक सर्वनाम** - जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति, प्राणी या वस्तु आदि का बोध नहीं होता, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अनिश्चय की यह स्थिति तब आती है, जब किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का आभास तो हो, किंतु उसकी संज्ञा (नाम) के बारे में निश्चय न हो: जैसे- कोई, कुछ।

'कोई' सर्वनाम किसी व्यक्ति का बोध कराता है और 'कुछ' सर्वनाम किसी वस्तु का। किंतु इनमें किसी निश्चित व्यक्ति या किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता: जैसे-

(क) दरवाजे पर कोई आया है।

(ख) दूध में कुछ पड़ गया है।

4. **प्रश्नवाचक सर्वनाम** - जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में प्रश्न पूछने या जानने के लिए किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं; जैसे-
- (क) दरवाजे पर कौन खड़ा है ?
 (ख) आप मुझसे क्या चाहते हैं ?
5. **निजवाचक सर्वनाम** - जो सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम के अपनेपन का बोध कराता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। अपना, अपनी, अपने, अपने-आप, स्वयं, खुद आदि निजवाचक सर्वनाम हैं। इनका प्रयोग निम्नलिखित वाक्यों में दिया गया है: जैसे-
- (क) मैं अपनी पुस्तक ले जा रहा हूँ।
 (ख) मोहन यह काम खुद कर लेगा।
 (ग) वह यहाँ स्वयं आया था।
 (घ) मोहन का अपना लड़का कहीं गया है।
 (ङ) मोहन (अपने) आप गया है।
6. **संबंधवाचक सर्वनाम** - जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने के लिए किया जाता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं; जैसे- जो, जिस। इस सर्वनाम का प्रयोग प्रायः मिश्रवाक्य में होता है: उदाहरण के लिए-
- (क) जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा।
 (ख) जिसको आपने बुलाया था, वह बाज़ार गया है।

परसर्ग के कारण सर्वनामों का रूपांतरण

- पुरुषवाचक सर्वनामों के साथ परसर्ग लगने पर अधिकतर सर्वनामों में परिवर्तन हो जाता है; जैसे-
- (क) अन्य पुरुष सर्वनाम (वह, यह, वे, ये) के साथ 'ने' लगने पर ये सर्वनाम क्रमशः 'उसने, इसने, उन्होंने, इन्होंने' रूपों में बदल जाते हैं।
- (ख) उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष सर्वनामों के साथ 'को' परसर्ग लगने पर प्रायः अंतर आ जाता है: जैसे- मैं + को = मुझको या मुझे, तू + को = तुझको या तुझे, तुम + को = तुमको या तुम्हें, वह + को = उसको + या उसे, वे = को + उनको या उन्हें, हम + को = हमको या हमें। इसी प्रकार से, के लिए, में, पर आदि परसर्गों के लगने से भी मूल सर्वनामों में प्रायः अंतर आता है।
- (ग) उत्तम पुरुष तथा मध्यपुरुष सर्वनामों के साथ 'ने' परसर्ग लगने पर परिवर्तन नहीं होता: जैसे-'मैंने, तुमने, हमने, आपने'।

सर्वनामों का प्रयोग

1. सर्वनाम का अपना कोई लिंग विधान नहीं है। वाक्य में संज्ञा के लिए जिस लिंग का

प्रयोग होता है, उसके लिए प्रयुक्त सर्वनाम के लिए भी उसी लिंग का प्रयोग होता है। सर्वनाम के लिंग की जानकारी क्रिया-रूपों से मिलती है; जैसे-

- (क) कुत्ता घर में घुस आया है, वह भौंक रहा है।
 (ख) शीला के पैर में चोट आई है, वह चल नहीं सकती।
2. मध्यम पुरुष सर्वनाम 'तू' एकवचन है। इसका प्रयोग अत्यंत आत्मीयता, अधिक घनिष्ठता, निरादर, हीनता अथवा भक्ति-भाव की स्थितियों में होता है: जैसे-
- (क) मोहन, तू मेरे भाई की शादी पर अवश्य आएगा।
 (ख) ऐ, तू मेरा क्या कर लेगा।
 (ग) हे ईश्वर तू दीनबंधु है।
3. 'कौन-सा' सर्वनाम का प्रयोग-प्रायः अप्राणिवाचक रूपों के साथ होता है: जैसे-आप कौन-सा कमरा लेंगे ?

विशेषण

संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले रूप को विशेषण कहते हैं। विशेषण रूप जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसे 'विशेष्य' कहते हैं; जैसे-ऊँचा कद, लाल आँखें, बहुत लोग, कई लड़कियाँ, मोटा आदमी। इनमें ऊँचा, लाल, बहुत, कई, मोटा विशेषण हैं और कद, आँखें, लोग, लड़कियाँ, आदमी क्रमशः इन विशेषणों के विशेष्य हैं।

विशेष के चार भेद माने गए हैं :

1. गुणवाचक विशेषण 2. परिमाणवाचक विशेषण
3. संख्यावाचक विशेषण 4. सार्वनामिक विशेषण।

1. **गुणवाचक विशेषण** : जो विशेषण विशेष्य (संज्ञा या सर्वनाम) के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, काल, दशा, स्थिति आदि की विशेषता का बोध कराता है, वह गुणवाचक विशेषण कहलाता है; जैसे-

- (क) वह अच्छा लड़का है। (गुणवाचक)
 (ख) लंबा आदमी इस घर का मालिक है। (आकार-बोधक)
 (ग) तुम ने मेरी नीली कमीज़ देखी है। (रंग-सूचक)
 (घ) गीली कमीज़ को धूप में रख दो। (दशा-बोधक)
 (ङ) आधुनिक युग कंप्यूटर का युग है। (काल-बोधक)

2. **परिमाणवाचक विशेषण** : जो विशेषण विशेष्य की माप या तौल (परिमाण) का बोध कराए, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं; जैसे-

- (क) पहाड़ों पर बहुत वर्षा होती है।
 (ख) मज़दूर भारी बोझ से दबा जा रहा था।

(ग) इस साल कम उपज हुई है।

(घ) वहाँ थोड़े लोग थे।

3. **संख्यावाचक विशेषण** : जो विशेषण विशेष्य की संख्या या गणना का बोध कराए, वह संख्यावाचक विशेषण कहलाता है: जैसे-

(क) उनको आने में अभी पंद्रह दिन शेष हैं।

(ख) खेल प्रतियोगिता में मोहन तीसरे स्थान पर आया है।

(ग) उसके पास आधे पैसे रह गए हैं।

(घ) इस स्कूल में कई लड़कियों ने प्रतियोगिता जीती।

(ङ) सब बालकों ने उसका ध्यान रखा।

संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं- निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में विशेष्य की संख्या का निश्चित बोध होता है; जैसे - पंद्रह, तीसरा, आधा। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में विशेष्य की संख्या का निश्चित बोध नहीं होता, अपितु संख्या का अनुमान कराने वाले रूप प्रयुक्त होते हैं; जैसे- कई, कुछ, सब, काफ़ी, सैंकड़ों, दस-बीस।

4. **सार्वनामिक विशेष** : जो सर्वनाम संज्ञा रूप के पहले आता है और विशेषण का कार्य करता है, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं: जैसे-

(क) वह छात्र कक्षा में प्रथम आया है।

(ख) यह मकान बड़ा है।

(ग) वहाँ कौन आदमी जा रहा है ?

निश्चयवाचक सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर

निश्चयवाचक सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में सूक्ष्म अंतर है। निश्चयवाचक सर्वनाम किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, घटना आदि की निश्चितता का बोध कराता है जबकि सार्वनामिक विशेषण से व्यक्ति, प्राणी, वस्तु आदि की विशेषता का द्योतन होता है; जैसे-

(क) (i) यह मोहन की पुस्तक है।

(ii) वह शीला का घर है।

(ख) (i) यह पुस्तक मोहन की है।

(ii) वह घर शीला का है।

उपर्युक्त (क) के अंतर्गत वाक्य (i) और (ii) में 'यह' और 'वह' क्रमशः 'मोहन की पुस्तक' और 'शीला का घर' की निश्चितता का बोध कराते हैं इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम

हैं, जबकि (ख) के अंतर्गत वाक्य (i) और (ii) में 'यह पुस्तक' और 'वह घर' में 'यह' पुस्तक की और 'वह' घर की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए सार्वनामिक विशेषण हैं।

प्रविशेषण

कुछ शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं। ऐसे शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं; जैसे-

- (क) आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की।
- (ख) मोहन बड़ा ईमानदार व्यक्ति है।
- (ग) कारखानों से अत्यंत विपैला पदार्थ निकलता है।
- (घ) मेरा भाई अत्यंत कुशल और अति सक्षम अधिकारी है।
- (ङ) चंद्रशेखर आज़ाद महान पराक्रमी क्रांतिकारी थे।

विशेषणों के बारे में कुछ अन्य बातें

(क) विशेषण विशेष्य के बाद भी प्रयुक्त होते हैं। उन्हें विधेय विशेषण कहते हैं; जैसे-

- (i) यह पानी ठंडा है।
- (ii) यह फूल लाल है।
- (iii) अंगुलिमाल डाकू क्रूर और निर्दयी थी।
- (iv) यह मकान ऊँचा है।

(ख) आकारांत पुल्लिङ्ग विशेषण बहुवचन में एकारांत हो जाते हैं:

जैसे- अच्छा-अच्छे, हरा-हरे, बड़ा-बड़े।

(ग) विशेष्य के साथ परसर्ग लगने पर आकारांत विशेषण एकवचन में भी एकारांत हो जाता है; जैसे- अच्छे लड़के ने, ऊँचे मकान में, हरे पौधे पर।

(घ) कुछ विशेषणों में लिंग और वचन के अनुसार परिवर्तन नहीं होता;

जैसे- बढ़िया, उम्दा, ज़्यादा, सुखी, सुंदर, उत्तम।

(ङ) ईकारांत स्त्रीलिङ्ग विशेषण एकवचन तथा बहुवचन दोनों रूपों में और विशेष्य के साथ परसर्ग लगने पर भी ईकारांत ही रहते हैं:

जैसे- काली बकरी- काली बकरियों ने, अच्छी लड़की- अच्छी लड़कियों को, बड़ी कलम से - बड़ी कलमों से।

कलम से - बड़ी कलमों से।

(च) विशेष्य के बिना कुछ विशेषण संज्ञा की भाँति प्रयुक्त होते हैं:

जैसे-

- (i) उस मोटे को देखो
- (ii) बड़ो का कहना मानना चाहिए।
- (iii) उस बेचारे ने कुछ नहीं किया।

(छ) विशेषण कभी-कभी पुनरुक्त रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। इस प्रकार के प्रयोग से अर्थ में अतिशयता आ जाती है; जैसे-

(i) यहाँ हरे-हरे पेड़ दिखाई देते हैं।

(ii) छोटे-छोटे लड़के कितने सुंदर लग रहे हैं।

(ज) दो या अधिक विशेष्यों के गुणों की तुलना करने के लिए विशेषण 'से' पहले से, 'की तुलना' में 'की अपेक्षा' आदि का प्रयोग होता है: जैसे-

(i) मेरा विद्यालय उसके विद्यालय से अच्छा है।

(ii) मेरा विद्यालय उसके विद्यालय की तुलना में अच्छा है।

(iii) मेरा विद्यालय उसके विद्यालय की अपेक्षा अधिक अच्छा है।

क्रिया

क्रिया से किसी कार्य के करने का अथवा किसी प्रक्रिया में या किसी स्थिति में होने का बोध होता है; जैसे-

(क) यह पुस्तक है।

(ख) रमेश रोज़ स्कूल जाता है।

(ग) शीला ने सेब खाया।

(घ) चिड़िया आकाश में उड़ रही है।

उपर्युक्त वाक्यों में वाक्य (क) में 'है' से पुस्तक की स्थिति का पता चलता है। वाक्य (ख) में रमेश के 'रोज़' जाने की जानकारी मिलती है। वाक्य (ग) में शीला के द्वारा 'खाना' कार्य करने का बोध होता है। वाक्य (घ) में चिड़िया के 'उड़ने' की प्रक्रिया का बोध होता है। अतः ऊपर दिए गए वाक्यों में मोटे छपे अंश है, जाता है, खाया तथा उड़ रही है क्रियापद हैं।

जाऊँगा, जाता है, जा रहा होगा, जाता था, जाना चाहिए, जाइए आदि क्रियापदों में 'जा' सभी रूपों में समान रूप से मिलता है। इस समान रूप में मिलने वाले अंश को धातु अथवा क्रियामूल कहते हैं।

आना, करना, रखना, उठना, बैठना, पढ़ना, दौड़ना सभी क्रियापद हैं। इन क्रियापदों से 'ना' हटा देने पर क्रियाओं का धातु रूप बनता है- आ, कर, रख, उठ, बैठ, पढ़, दौड़।

क्रिया के भेद

क्रिया के मुख्यतः दो भेद हैं: (i) अकर्मक क्रिया (ii) सकर्मक क्रिया।

1. **अकर्मक क्रिया** - वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता नहीं होती, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इस क्रियापद से कार्य का होना या करना स्वतः ही पता चल जाता है तथा इसका प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है; जैसे-

- (क) राम आता है। (ख) पक्षी उड़ रहे हैं।
 (ग) शीला हँसेगी। (घ) बच्चा रो रहा है।

उपर्युक्त वाक्यों में 'आना', 'उड़ना', 'हँसना' और 'रोना' क्रियाओं को कर्म की अपेक्षा नहीं है। इनका प्रभाव क्रमशः 'राम', 'पक्षी', शीला और 'बच्चे' पर पड़ रहा है।

2. सकर्मक क्रिया - वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता रहती है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे-

- (क) मोहन मकान देख रहा है। (ख) शीला ने सेब खाया।
 (ग) वह पानी पी रहा है। (घ) कुली सामान उठाता है।

उपर्युक्त वाक्यों में देखना, खाना, पीना, उठाना क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता है। इनमें कर्म के बिना क्रिया पूर्ण नहीं है। यदि वाक्य में कर्म उपस्थित न भी हो, किंतु क्रिया को उसकी अपेक्षा हो तो वह सकर्मक क्रिया ही होगी: जैसे-

राम पढ़ता है।

शीला खा रही है।

कुछ सकर्मक क्रियाओं के लिए दो कर्मों की आवश्यकता होती है। इन क्रियाओं को द्विकर्मक क्रिया भी कहते हैं: जैसे-

- (क) मोहन ने सोहन को अपनी घड़ी दी।
 (ख) रमेश ने सुरेश से मकान खरीदा।
 (ग) शीला ने रमा को गाना सुनाया।
 (घ) रेखा ने सीमा को अपना पता बताया।

उपर्युक्त वाक्यों में देना, खरीदना, सुनाना, बताना क्रियाएँ द्विकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं, क्योंकि इनके साख दो-दो कर्म हैं।

- (i) हिंदी में कुछ अकर्मक क्रियाओं को सकर्मक क्रिया के रूप में व्युत्पन्न किया जा सकता है; जैसे- मरना $\Rightarrow$ मारना, चलना $\Rightarrow$ चलाना, उठना $\Rightarrow$ उठाना
 (ii) इसी प्रकार सकर्मक क्रियाओं को अकर्मक क्रिया बनाया जा सकता है: जैसे- घेरना $\Rightarrow$ घिरना, खोलना $\Rightarrow$ खुलना, लूटना $\Rightarrow$ लुटना
 (iii) ध्यान देने की बात है कि 'उड़ना' क्रिया मूल अकर्मक क्रिया है तथा सकर्मक क्रिया 'उड़ाना' से व्युत्पन्न अकर्मक क्रिया के रूप में भी कार्य करती है; जैसे-

(क) चिड़िया उड़ रही है। (मूल अकर्मक 'उड़ना')

मोहन चिड़िया को उड़ा रहा है। (अकर्मक 'उड़ना' से व्युत्पन्न सकर्मक)

(ख) मोहन पतंग उड़ा रहा है। (मूल सकर्मक रूप में प्रयुक्त 'उड़ाना')

पतंग आकाश में उड़ रही है। (सकर्मक उड़ना का व्युत्पन्न अकर्मक)

(iv) कुछ सकर्मक क्रियाएँ अकर्मक क्रिया के रूप में भी प्रयुक्त हो सकती हैं: जैसे-

(क) मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। (सकर्मक पढ़ना)

(ख) श्याम आजकल पढ़ रहा है। (अकर्मक पढ़ना अर्थात् अध्ययन करना)

प्रेरणार्थक क्रिया

जिस क्रिया से कर्ता के स्वयं काम करने का बोध नहीं होता वरन किसी अन्य व्यक्ति से कराए जाने का बोध होता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया मूलतः सकर्मक क्रिया होती है; जैसे-

(क) मोहन सोहन से काम कराता है।

(ख) माँ नौकरानी से बच्चे को दूध पिलवाती है।

उपर्युक्त वाक्यों में वाक्य (क) में 'काम करने' का कार्य मोहन नहीं कर रहा है वरन मोहन की प्रेरणा से सोहन काम करता है अर्थात् मोहन सोहन के द्वारा काम कराता है। वाक्य (ख) में बच्चे को दूध पिलाने का काम माँ नहीं करती बल्कि माँ की प्रेरणा से अर्थात् कहने पर नौकरानी दूध पिलाती है। इसलिए कराना और पिलवाना क्रिया प्रेरणार्थक क्रियाएँ हैं।

प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार की होती हैं- (क) प्रथम प्रेरणार्थक और (ख) द्वितीय प्रेरणार्थक।

प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया: मूल सकर्मक क्रिया का भी काम करती है। इसके धातु रूप के बाद 'आ' जुड़ता है; जैसे- करना-कराना, भूलना-भुलाना, खेलना-खिलाना, पीना-पिलाना।

द्वितीय, प्रेरणार्थक क्रिया में धातु के बाद प्रायः 'वा' जुड़ता है: जैसे-करना-करवाना, भुलाना-भुलवाना, खिलाना-खिलवाना, पिलाना-पिलवाना।

संयुक्त क्रिया

वाक्य में क्रिया पद के भीतर एक से अधिक क्रियाएँ भी आती हैं; जैसे- दिखाई दिया, बैठ जाओ, लौट आया, चल पड़ा। इन क्रियापदों को संयुक्त क्रिया कहते हैं। इनमें दिखाई, बैठ, लौट और चल क्रियाएँ मूल क्रियाएँ हैं जो कोशीय अर्थ देती हैं। दिया, जाओ, आया, पड़ा, क्रियाएँ रंजक क्रियाएँ हैं जो कोशीय अर्थ को रंजित करती हैं अर्थात् विशेष अर्थच्छाया देती हैं।

इस प्रकार दो स्वतंत्र अर्थ देने वाली क्रियाएँ जब मुख्य क्रिया और रंजक क्रिया के रूप में एक साथ मिल जाती हैं तब उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए-

(क) उसे मोहन आता दिखाई दिया।	(देना- पूर्णता का भाव)
(ख) तुम यहाँ आकर बैठ जाओ।	(जाना- पूर्णता का भाव)
(ग) वर्षा के कारण वह बीच में चला आया।	(आना - अनायासता का भाव)
(घ) वह विद्यालय की ओर चल पड़ा।	(पड़ना - शीघ्रता का भाव)
(ङ) मोहन स्कूल जाने लगा।	(लगना - आरंभ का भाव)
(च) शीला चिल्ला उठी।	(उठना - आकस्मिकता का भाव)
(छ) उसने कुत्ते को मार डाला।	(डालना - बलात का भाव)
संयुक्त वाक्यों में देना, जाना, आना, पड़ना, लगना, उठना और डालना रंजक क्रियाएँ हैं।	

संयुक्त क्रिया के अन्य लक्षण

- कहीं-कहीं संयुक्त क्रिया के दोनों पदों का क्रम तथा रूप बदलने पर अर्थ में परिवर्तन आ जाता है: जैसे-
 - (क) उसने उसे मार दिया। (जान से मार देना)
 - (ख) उसने उसे दे मारा। (उठाकर नीचे पटक देना)
- निषेधात्मक वाक्यों में मुख्य क्रिया के साथ रंजक क्रिया नहीं लगती, जैसे-
 - (क) उसे भूख लग आई $\Rightarrow$ उसे भूख नहीं लगी।
 यह सुनकर मोहन चिल्ला उठा $\Rightarrow$ यह सुनकर मोहन नहीं चिल्लाया।
 महेन्द्र सारे आम खा गया $\Rightarrow$ महेन्द्र ने सारे आम नहीं खाए।
 सुरेश ने काम कर लिया $\Rightarrow$ सुरेश ने काम नहीं किया।
- संयुक्त क्रिया में सकना और 'चुकना' जैसी क्रियाएँ रंजक क्रिया के रूप में प्रयुक्त होती हैं। वास्तव में ये रंजक क्रियाएँ नहीं हैं और न ही इनका कोई स्वतंत्र अर्थ होता है, किंतु वे मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर क्रिया के सामर्थ्य, पूर्णता आदि का बोध कराती हैं: जैसे-
 - (क) रमेश यह काम कर सकता है। (सामर्थ्य का भाव)
 - (ख) शीला मुंबई जा चुकी है। (पूर्णता का भाव)

समापिका क्रिया और असमापिका क्रिया

समापिका क्रिया - सरल वाक्य में जो क्रिया वाक्य को समाप्त करती हैं और प्रायः वाक्य के अंत में रहती हैं, उसे समापिका क्रिया कहते हैं: जैसे-

- (क) मोहन डॉक्टर है।
- (ख) लड़का पढ़ता है।
- (ग) मैं निबंध लिखूँगा।

उपर्युक्त वाक्यों में है, पढ़ता है, लिखूँगा क्रियापद वाक्य के अंत में हैं। इनका संबंध व्याकरणिक कर्ता से है।

असमापिका क्रिया - वाक्य में जो क्रिया विधेयगत क्रिया के स्थान पर प्रयुक्त न होकर अन्य स्थान पर प्रयुक्त होती है उसे असमापिका क्रिया कहते हैं। इन्हें कृदन्ती रूप भी कहा जाता है। यह क्रिया समापिका क्रिया के लिए निर्धारित स्थान पर प्रयुक्त नहीं होती: जैसे-

- (क) मोहन ने घर आकर भोजन किया।
- (ख) पानी में बहते हुए बच्चा नदी में डूब गया।
- (ग) बड़ों के कहने पर चला करो।
- (घ) कुरसी पर बैठे हुए मोहन ने बच्चे को उठा लिया।
- (ङ) मेज़ पर पड़ी किताब उठा लाओ।

उपर्युक्त वाक्यों में 'आकर', 'बहते हुए', 'कहने पर', 'बैठे हुए', 'पड़ी' असमापिका क्रियाएँ (कृदन्त) हैं। कृदन्त मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार के होते हैं-

- (क) अपूर्ण कृदन्त- खिलता फूल, बहती नदी, चलती गाड़ी।
- (ख) पूर्ण कृदन्त - बैठा आदमी, पका (हुआ) फल।
- (ग) क्रियार्थक कृदन्त- पढ़ने के लिए।
- (घ) पूर्वकालिक कृदन्त - बैठकर, खड़े होकर।
- (ङ) कृदन्तीय संज्ञा (क्रियार्थक संज्ञा)- टहलना, उठना, बैठना।
- (च) कृदन्तीय क्रियाविशेषण - गिरते ही, बैठे-बैठे।
- (छ) कर्तृवाचक कृदन्त - भागने वाला, बोलने वाला।
- (ज) तात्कालिक कृदन्त - आते ही, बैठते ही।

ध्यान दें कि अपूर्ण, पूर्ण और कर्तृवाचक कृदन्त प्रायः विशेषण होते हैं। पूर्वकालिक कृदन्त प्रायः क्रियाविशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं।

काल, पक्ष और वृत्ति

काल - क्रिया किस समय हुई, इसका बोध कराने का कार्य काल करता है। वास्तव में व्याकरणिक दृष्टि से कथन के क्षण और क्रिया होने या करने के क्षण का समयपरक संबंध काल है। उदाहरण के लिए-

1. श्याम पढ़ता है।
2. श्याम कल पढ़ रहा था।
3. श्याम कल पढ़ेगा।

उपर्युक्त वाक्यों में वाक्य (1) में पढ़ने का कार्य वर्तमान में अर्थात् इस समय हो रहा है। वाक्य (2) में पढ़ने का कार्य भूतकाल अर्थात् बीते हुए समय 'कल' हुआ था और वाक्य (3) में पढ़ने का कार्य भविष्य में अर्थात् आने वाले 'कल' में होगा।

काल तीन प्रकार के होते हैं- (1) वर्तमान काल (2) भूतकाल और (3) भविष्यत् काल।

1. **वर्तमान काल** - कथन के क्षण के साथ-साथ क्रिया-व्यापार का होना अर्थात् वर्तमान समय में होना वर्तमान काल के अंतर्गत आता है; जैसे- मैं जाता हूँ, तुम जाते हो, वह जाता है।
2. **भूतकाल** - कथन के क्षण के पूर्व क्रिया-व्यापार का होना अर्थात् बीते हुए समय में होना भूतकाल है; जैसे- मोहन पुस्तक पढ़ रहा था, शीला ने पुस्तक पढ़ी और मोहन और सोहन ने पुस्तक पढ़ी थी।
3. **भविष्यत् काल** - कथन के क्षण के बाद क्रिया-व्यापार का होना अर्थात् आगे आने वाले समय में होना भविष्यत् काल है; जैसे- शीला गाना गाएगी, वे जाएँगे, शायद वर्षा हो।

पक्ष

प्रत्येक कार्य-व्यापार किसी काल-अवधि के बीच होता है जो प्रारंभ से अंत तक फैला होता है। इस फैली हुई काल-अवधि में कार्य व्यापार को देखना पक्ष कहलाता है। वास्तव में यह कार्य कभी अपूर्णता, कभी आवृत्ति, कभी निरंतरता और कभी पूर्णता व्यक्त करता है।

हिंदी में पक्ष मुख्यतः चार प्रकार के माने गए हैं:

1. **नित्यताबोधक अपूर्ण पक्ष** - इसमें क्रिया सामान्य रूप से चलती रहती है और पूरी नहीं होती; जैसे- मोहन डॉक्टर है। सुरेश अध्यापक था।
2. **आवृत्तिमूलक पक्ष** - इसमें क्रिया सदैव बनी रहती है; जैसे-सूर्य पूर्व से निकलता है। मोहन पढ़ता है। श्याम स्कूल जाता था।
3. **सातत्यबोधक पक्ष** - इसमें उस समय का बोध होता है जब कार्य निरंतर चल रहा हो; जैसे- सतीश पढ़ रहा है। सीता लिख रही थी। मोहन सोच रहा होगा।
4. **पूर्णकालिक पक्ष** - इसमें कार्य व्यापार पूरा या समाप्त हो चुका होता है; जैसे-सुरेश काफ़ी दौड़ चुका है। शीला ने यह पुस्तक पढ़ी है। मोहन घर गया।

वृत्ति

जब क्रिया-रूप वक्ता या लेखक की मनोवृत्ति या प्रयोजन की ओर संकेत करता है तो उसे वृत्ति कहते हैं। 'वृत्ति' को क्रियार्थ भी कहते हैं। इसकी क्रियाएँ प्रायः काल निरपेक्ष होती हैं।

वृत्ति के छः मुख्य भेद माने गए हैं-

1. **आज्ञार्थ** - इसमें क्रिया के द्वारा आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि प्रकट होते हैं; जैसे- (क) तुम अपने घर जाओ। (ख) हे प्रभु। मेरे अपराध क्षमा करो (ग) सदैव सच बोलो।

2. **इच्छार्थ** - इसमें वक्ता की इच्छा, कामना, आशीर्वाद, वरदान, शाप आदि का पता चलता है; जैसे - (क) मैं चाहता हूँ कि मोहन मेरे पास आ जाए (ख) ईश्वर सबका भला करे। (ग) तुम सुखी रहो।
3. **संभावनार्थ** - इसमें कार्य के होने में संदेह या संशय बना रहता है; जैसे- (क) आज (शायद) पानी न बरसे। (ख) कदाचित् वह अभी तक वहीं हो। (ग) संभवतः मैं कल न आऊँ।
4. **निश्चयार्थ** - इसमें कथन सूचना-प्रधान होता है और इसमें सत्य-असत्य की जाँच की जा सकती है; जैसे- (क) मुझे आज दिल्ली जाना पड़ेगा। (ख) शीला ने यह पुस्तक पढ़ ली।
5. **संकेतार्थ** - इसमें कार्यसिद्धि के लिए वक्ता कुछ शर्तों का पूरा होना आवश्यक समझता है; जैसे- (क) यदि तुम पढ़ते तो उत्तीर्ण हो जाते। (ख) अगर वर्षा हुई तो मोहन नहीं आएगा। (ग) जैसा करोगे वैसा भरोगे।
6. **प्रश्नार्थ** - इसमें वक्ता के मन में जिज्ञासा या शंका हो और वह उसके निर्णय पाने के लिए कोई प्रश्न कर देता है; जैसे- (क) अब मैं क्या करूँ ? (ख) क्या तुम मेरा काम कर दोगे ?

वाच्य

वाच्य उस रूप-रचना को कहते हैं जिससे यह पता चलता है कि क्रिया को मूल रूप से चलाने वाला कर्ता है या कर्म।

हिंदी में दो मुख्य वाच्य हैं: (1) कर्तृवाच्य और (2) अकर्तृवाच्य

1. **कर्तृवाच्य** - जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। इस वाक्य में अकर्मक तथा सकर्मक दोनों क्रियाएँ हो सकती हैं। इसमें कर्ता प्रमुख होता है और कर्म गौण होता है; जैसे-

(क) पिता जी आ रहे हैं।	(अकर्मक)
(ख) माता जी सो रही हैं।	(अकर्मक)
(ग) मजदूर काम कर रहे हैं।	(सकर्मक)
(घ) मोहन ने पुस्तक पढ़ी।	(सकर्मक)
2. **अकर्तृवाच्य** - जिन वाक्यों में कर्ता गौण अथवा लुप्त होता है, उसे अकर्तृवाच्य कहते हैं। अकर्तृवाच्य के दो प्रमुख भेद हैं- कर्मवाच्य और भाववाच्य।

(अ) **कर्मवाच्य** - कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। इसके कारण वाक्य में कर्ता का लोप हो जाता है अथवा कर्ता के बाद 'से' अथवा 'द्वारा' का प्रयोग होता है; जैसे-

(क) दीपावली अक्टूबर या नवंबर में मनाई जाती है।	(कर्ता का लोप)
(ख) आपका काम कर दिया गया है।	(कर्ता का लोप)

(ग) प्रेमचंद द्वारा यह उपन्यास लिखा गया। (कर्ता + द्वारा)

(घ) यह मेज़ मोहन से टूट गई है। (कर्ता + से)

यह उल्लेखनीय है कि कर्मवाच्य में (i) कर्ता का लोप होता है अथवा कर्ता के साथ 'द्वारा' या 'से' जोड़ा जाता है। इस कारण कर्ता गौण हो जाता है। (ii) इसमें सकर्मक क्रियाएँ प्रयुक्त होती हैं।

कर्मवाच्य रचना के अंतर्गत असमर्थतासूचक वाक्य भी आते हैं, किंतु इसमें 'द्वारा' के स्थान पर प्रायः से परसर्ग का प्रयोग होता है। इसमें भी सकर्मक क्रिया प्रयुक्त होती है। ये वाक्य केवल निषेधात्मक रूप में प्रयुक्त होते हैं और कर्ता की असमर्थता सूचित करते हैं: जैसे-

(क) मुझसे यह दरवाज़ा नहीं खोला जाता।

(ख) मोहन से भोजन नहीं किया जाता।

हिंदी में क्रिया का एक ऐसा रूप भी है जो कर्मवाच्य की तरह प्रयुक्त होता है। वह है सकर्मक क्रिया से बना इसका अकर्मक रूप जिसे व्युत्पन्न अकर्मक कहते हैं: जैसे-

(क) दरवाज़ा खुल गया। (खोलना $\Rightarrow$ खुलना)

(ख) गिलास टूट गया। (तोड़ना $\Rightarrow$ टूटना)

(ग) भोजन पक गया। (पकाना $\Rightarrow$ पकना)

(आ) भाववाच्य - इसमें वक्ता का कथ्य बिंदु क्रिया से प्रकट होता है। इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। वस्तुतः अकर्मक क्रिया का कर्मवाच्य ही भाववाच्य है: जैसे-

(क) अब चला जाए। (ख) थोड़ी देर सो लिया जाए।

(ग) मुझ से चला नहीं जाता।

अव्यय

हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रियापदों का अध्ययन किया और देखा कि इन पदों के रूपों में परिवर्तन होता है, अतः इन्हें विकारी पद कहते हैं। अब उन पदों का अध्ययन किया जाएगा जिनका रूप सदैव एक ही बना रहता है और उनमें परिवर्तन नहीं होता। एक ही रूप बने रहने के कारण इन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय शब्द का अर्थ है जिसका व्यय न हो अर्थात् जिनमें विकार न आए। इन्हें अविकारी पद भी कहते हैं।

अव्यय वे शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि से कोई विकार या रूप-परिवर्तन नहीं होता।

अव्यय के पाँच मुख्य भेद माने गए हैं:

1. **क्रियाविशेषण** - जो पद क्रिया की विशेषता बताता है, उसे क्रियाविशेषण अव्यय कहते जैसे- धीरे-धीरे, आजकल, के पास, बिलकुल।

क्रियाविशेषण के चार भेद माने गए हैं-

(क) कालवाचक क्रियाविशेषण : जो पद क्रिया के काल या समय की विशेषता बताता है, उसे कालवाचक क्रियाविशेषण कहते हैं ; जैसे-

1. तुम चेन्नई कब जाओगे ?
2. संजय परसों जयपुर से आया था।
3. शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है।
4. महँगाई आजकल बढ़ती जा रही है।

(ख) स्थानवाचक क्रियाविशेषण : जो पद क्रिया के स्थान का बोध कराता है, उसे स्थानवाचक क्रियाविशेषण कहते हैं: जैसे-

1. वह यहाँ रहता है।
2. माता जी बाहर गई है।
3. तुम इधर-उधर मत जाओ।
4. वर्षा में कहाँ जाओगे ?

(ग) रीतिवाचक क्रियाविशेषण : जो पद क्रिया के होने की रीति या विधि संबंधी विशेषता बताता है, उसे रीतिवाचक क्रियाविशेषण कहते हैं: जैसे-

1. कार तेज़ दौड़ती है।
2. साइकिल धीरे-धीरे चलती है।
3. मुदिता ध्यानपूर्वक पढ़ती है।
4. मोहन यहाँ कैसे आया है ?

(घ) परिमाणवाचक क्रियाविशेषण : जो पद क्रिया की मात्रा या परिमाण बताए, वह परिमाणवाचक क्रियाविशेषण है: जैसे-

1. मैं बिल्कुल थक गया हूँ।
2. बंगाल में चावल अधिक खाया जाता है।
3. तुम कम बोलो।
4. थोड़ा खाओ, खूब चबाओ।

2. **संबंधबोधक अव्यय** - संबंधबोधक अव्यय अपने पूर्वपद के साथ संबंध जोड़ता है। इस पद के पहले किसी-न-किसी परसर्ग की अपेक्षा रहती है: जैसे- से दूर, के साथ, के बिना, के कारण, के वास्ते, की अपेक्षा, की जगह, के अनुसार, की तरफ़। उदाहरण के लिए-

1. मैं घर से दूर पहुँच गया था।
2. इस मकान के पीछे शिव मंदिर है।

3. मोहन बाज़ार की ओर गया है।
4. उसके सामने तुम कहीं नहीं ठहर सकते।

3. **समुच्चयबोधक अव्यय** - जो अव्यय पदों, पदबंधों और उपवाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चयबोधक अव्यय कहते हैं; जैसे- और, कि, अथवा, क्योंकि, इसलिए।

समुच्चयबोधक अव्यय के दो भेद हैं:

(क) **समानाधिकरण समुच्चयबोधक** : जो दो या उससे अधिक समान पदों, पदबंधों, उपवाक्यों को जोड़ता है, वह समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय कहलाता है:

1. नरेंद्र शाम को रोटी और दाल खाता है।
2. जोगेंद्र रसमलाई या गुलाबजामुन खाता है।
3. उसने मोहन को बहुत समझाया किंतु वह नहीं माना।
4. मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए स्कूल नहीं आ पाऊँगा।

(ख) **व्यधिकरण समुच्चयबोधक**: जो पद किसी वाक्य के एक या अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ता है, वह व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय कहलाता है; जैसे-

1. शेखर घर चला गया है क्योंकि उसके सिर में दर्द था।
2. पिताजी ने कहा कि मोहन को तुरंत बुलाओ।
3. मैं घर जा रहा हूँ ताकि माँ को दवा पिला सकूँ।
4. उसने परिश्रम किया फिर भी सफल नहीं हो पाया।

4. **विस्मयादिबोधक अव्यय** - विस्मयादिबोधक अव्यय वे रूप हैं जो आश्चर्य, हर्ष, शोक, व्यथा, घृणा आदि मनोभावों के उद्गार को व्यक्त करते हैं। उद्गार प्रायः अपने-आप मुँह से निकल जाते हैं और इनका उद्देश्य प्रायः सुनने वाले को कोई सूचना देना नहीं होता; जैसे-

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| (क) वाह। क्या सुंदर दृश्य है। | (आश्चर्य) |
| (ख) अरे। गाड़ी से बचो। | (चेतावनी) |
| (ग) क्या बोलूँ। | (व्यथा) |
| (घ) शाबाश। बहुत बड़ा काम किया तुमने। | (प्रशंसा) |
| (ङ) छिः। ऐसी गंदी बात करता है। | (घृणा) |
| (च) वाह। यह सुनकर मन खिल उठा। | (हर्ष) |

5. **निपात** - वाक्य में जो अव्यय किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल या भाव पैदा करने में सहायता करते हैं, उन्हें निपात या अवधारणामूलक शब्द कहते हैं; जैसे-

1. राम ही कल जाएगा।
2. राम कल ही जाएगा।
3. कल राम भी जाएगा।
4. मैंने तो कुछ नहीं किया।
5. तुम्हारे बारे में बच्चे तक जानते हैं।

प्रश्न-अभ्यास

1. शब्द और पद में अंतर स्पष्ट करते हुए पद के प्रकार उदाहरण सहित बताइए।
2. संज्ञा के भेद बताते हुए प्रत्येक के दो-दो उदाहरण दीजिए।
3. निम्नलिखित शब्द संज्ञा के किन भेदों के अंतर्गत आते हैं ?
पर्वत, गंगा, कोच्चिन, इच्छा, हरिद्वार, हिमालय, सोना, पुलिस, शांति, मुंबई।
4. पुल्लिङ्ग और स्त्रीलिङ्ग बनाने के प्रमुख नियम उदाहरण सहित बताइए।
5. निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप (परसर्ग रहित) लिखिए-
दरवाजा, नदी, आँख, डाकू, कक्षा, कुर्सी, मुनि, माला।
6. निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप (परसर्ग सहित) लिखिए-
आदमी (ने), लड़की (को), कमरा (में), कवि (से), कपड़ा (पर), पशु (को), बहन (ने), बहू (को)।
7. कारक किसे कहते हैं ? इसके भेद उदाहरण सहित बताइए।
8. निम्नलिखित वाक्यों के खाली स्थानों को उपयुक्त परसर्गों से पूरा कीजिए-
 1. सुरेश कई सेब खाए।
 2. गंगा हिमालय निकलती है।
 3. माँ बच्चे खिलौना लाती है।
 4. शीला ने भाई पत्र लिखा।
 5. नौकर बुलाओ।
 6. मोहन ने राम डाँटा।
 7. मैंने सुरेश बोलना बंद कर दिया।
 8. उसने चाकू फल काटे।
9. सर्वनाम से क्या अभिप्राय है ? इसे स्पष्ट करते हुए इसके प्रकार उदाहरण सहित बताइए।
10. अन्य पुरुष सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम का अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।
11. विशेषण के प्रकार उदाहरण सहित समझाइए।
12. निश्चयवाचक सर्वनाम और सार्वनामिक विशेष का अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।
13. प्रविशेषण से क्या अभिप्राय है ? उदाहरण सहित समझाइए।

14. क्रिया किसे कहते हैं ? इसके भेद उदाहरण सहित बताइए।
15. संयुक्त क्रिया से क्या अभिप्राय है ? उदाहरण सहित समझाइए।
16. काल के कितने भेद हैं ? प्रत्येक के दो-दो उदाहरण दीजिए।
17. वृत्ति से क्या तात्पर्य है ? सभी वृत्तियों का एक-एक उदाहरण दीजिए।
18. पक्ष से क्या अभिप्राय है ? पक्ष कितने प्रकार के होते हैं। उदाहरण देकर प्रत्येक को स्पष्ट कीजिए।
19. अव्यय के भेद बताते हुए प्रत्येक के दो-दो उदाहरण दीजिए।
20. क्रियाविशेषण का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके प्रकारों का विवेचन उदाहरण सहित कीजिए।
21. निम्नलिखित शब्दों के प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनाइए-
पीना, सुनना, रोना, चलना, देना, बनना, काटना।
22. वाच्य का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके भेदों का विवेचन उदाहरण सहित कीजिए।
23. निम्नलिखित वाक्यों के वाक्य बताइए-
(क) मुझ से गलती हो गई।
(ख) राम अभी नहीं सोया।
(ग) मजदूरों ने एक साल में यह पुल तैयार किया।
(घ) बच्चे से गिलास टूट गया।
(ङ) मुझसे चला नहीं जाता।
24. निम्नलिखित वाक्यों में सही वाक्य पर सही (✓) का निशान लगाइए और यदि कोई वाक्य गलत हो तो उसे शुद्ध कीजिए-
(क) शीला घर पर होगी।
(ख) मैंने काम करा।
(ग) मेरे को कल मुंबई जाना है।
(घ) मुझे दो सौ रुपए की जरूरत होगी।
(ङ) राम ने बहुत बड़ी गलती करी।
(च) मुझे दो किताबें चाहिए।
(छ) मोहन सोहन को अपना पेन देगा।
(ज) कौन पत्र लिखा है।

